राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण,

राजस्थान उच्च न्यायालय परिसर, जयपुर पीठ जयपुर

(Phone : 0141-2227481,2227555, FAX: 2227602, Help line No.15100)

(E-mail:- rj-slsa.nic.in, rslsajp@gmail.com Website:- www.rlsa.gov.in)

क्रमांक :- 618 दिनांक :- 30.11.2017

कार्यालय आदेश

राजस्थान राज्य चिधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम,1987 एवं राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (निःशुल्क एवं सक्षम विधिक सेवा) विनिमय, 2010 के विनियम 8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, माननीय कार्यकारी अध्यक्ष, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डूंगरपुर हेतु निम्न रिटेनर अधिवक्ता को निम्नांकित शर्तो के अध्ययधीन कॉलम संख्या 5 में अंकित दिनांक तक नियुक्त किया जाता हैं :-

क.सं.	जिले का नाम	रिटेनर अधिवक्ता का नाम	एनरोलमेन्ट नं.	कार्य अवधि
1.	डूंगरपुर	श्री संदीप भट्ट	R/892/2006	31.05.2018

शर्ते :-

1. रिटेनर अधिवक्ता जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा निर्दिष्ट किये गये कार्यो हेतु हमेशा उपलब्ध रहेगे।
2. रिटेनर अधिवक्ता रोजाना अपनी उपस्थिति जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष दर्ज करवायेगे।
3. रिटेनर अधिवक्ता उसको न्यस्त किये गये कार्य के संबंध में एक डायरी संधारित करेगा तथा उसका विवरण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को प्रस्तुत करेगा।
4. यदि कोई कारण से रिटेनर अधिवक्ता किसी दिवस पर अपनी सेवाएं देने में असमर्थ है तो उसकी पूर्व सूचना संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को देगा।
5. रिटेनर अधिवक्ता इस प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेश/परिपत्र आदि का बारीकी से अवलोकन करेगा तथा उसमें उन्हें न्यस्त किये गये कार्यो को पूर्ण तत्परता से संपादित करेगा।
6. यदि किसी आकस्मिक कारण से रिटेनर अधिवक्ता किसी दिवस पर बिना कोई कारण दर्शित करे अनुपस्थित रहता है तो वापस आने पर अनुपस्थिति का कारण संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष को दर्शित करेगा। रिटेनर अधिवक्ता द्वारा लगातार तीन बार बिना किसी कारण के अनुपस्थित रहने पर, कार्य करने में अपनी लिखित असमर्थता जाहिर करने पर या उसका कार्य असंतोषजनक पाये जाने पर संबंधित जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा उसको रिटेनर अधिवक्तागण के पैनल से हटाने तथा नये रिटेनर अधिवक्त की नियुक्ति की संस्तुती इस प्राधिकरण को प्रेषित की जावेगी तथा ऐसी संस्तुती प्राप्त होने पर नये रिटेनर अधिवक्ता की नियुक्ति माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय की अनुमति से की जा सकेगी।
7. यदि किसी दिवस पर रिटेनर अधिवक्ता अपनी सेवायं देने में असमर्थ रहता है तो उस दिन का मानदेय देय नहीं होगा।
8. प्रत्येक माह रिटेनर अधिवक्ता द्वारा किये गये कार्यो का समेकित विविरण जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा आगामी माह की 10 तारीख तक प्रेषित किया जायेगा।

आज्ञा से

30/11/17

सदस्य सचिव,

(जिला एवं सेशन न्यायाधीश)

क्रमांकः– 30611–30624 दिनांकः– 30.11.2017

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव माननीय कार्यकारी अध्यक्ष महोदय, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय अध्यक्ष, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
3. निजी सचिव, माननीय जज इन्चार्ज, मीडियेशन राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर/जोधपुर।
4. श्रीमान् सदस्य सचिव, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली।
5. श्रीमान् रजिस्ट्रार जनरल, राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर।
6. श्रीमान् प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
7. अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डूंगरपुर को आदेश की प्रतिलिपि संलग्न कर निवेदन है कि संबधित रिटेनर अधिवक्ता को उपलब्ध करावें।
8. उप सचिव, राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जोधपुर।
9. पूर्णकालिक सचिव, राजस्थान उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति, जयपुर/जोधपुर।
10. लेखा शाखा, कार्यालय हाजा।
11. आदेश/रक्षित/संबंधित पत्रावली।

30/11/17

उप सचिव–II